UPSI 120028972023

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०), न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिसवाँ, सीतापुर।
पीठासीन अधिकारी(सुभाष)(उ०प्र०न्यायिक सेवा)UP3785
दीवानी वाद संख्या-481/ 2023
लालजी बनाम सुनीता देवी आदि।

दिनाँक 21.12.2023

वादी द्वारा वाद पत्र बाबत स्थाई निषेधाज्ञा व बैनामा निरस्तीकरण जरिए अधिवक्ता श्री संतोष कुमार कठेरिया द्वारा प्रस्तुत किया गया।

समस्त प्रपत्रों एवं मुंसरिम आख्या का अवलोकन किया गया।

आदेश

वाद दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को सम्मन जारी हो। वादी पैरवी करे। पत्रावली वास्ते दाखिल जवाबदावा दिनाँक 29.01.2024 एवं वास्ते विरचन वाद बिन्दु दिनाँक 09.02.2024 को पेश हो।

सिविल जज (जू०डि०)
बिसवाँ, सीतापुर।

प्रार्थना पत्र 6ग^{2}

वादी के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र 6ग^{2} अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 सिविल प्रक्रिया संहिता पर एक पक्षीय रूप से सुना गया तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया।

पत्रावली के सम्यक परिशीलन के आधार पर यह विदित होता है कि वादी द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रतिवादीगण को वादीय भूमि गाटा संख्या 412 रकबा 0.615हे०, गाटा संख्या 416 रकबा 0.202हे० स्थित ग्राम पुरैनी, परगना व तहसील बिसवाँ, जिला सीतापुर में प्रतिवादीगण को अवैध कब्जा करने, बिक्री आदि करने एवं किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप करने से सदैव के लिए निषेधित किये जाने की याचना की गयी है।

वादी की ओर से अपने उपरोक्त कथनों के समर्थन में सूची 11ग से सत्यापित बैनामा दिनांकित 17.08.2020, खतैनी गाटा संख्या 412 रकबा 0.615हे०, गाटा संख्या 416 रकबा 0.202हे० स्थित ग्राम पुरैनी परगना व तहसील बिसवां, जिला सीतापुर प्रस्तुत किया गया है।

सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए बिना प्रतिवादीगण को सुनवाई का अवसर दिये प्रार्थना पत्र 6ग^{2} पर एकपक्षीय रुप से कोई अन्तरिम आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नहीं होगा।

आदेश

प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो। वादी पैरवी करे। प्रतिवादीगण से आपत्ति आमन्त्रित की जाये। पत्रावली वास्ते आपत्ति निस्तारण प्रार्थना पत्र 6ग^{2} दिनाँक 22.01.2024 को पेश हो।

सिविल जज (जू०डि०)
बिसवाँ, सीतापुर।

प्रार्थन-पत्र 8ग^{2}

वादी की ओर से प्रार्थना पत्र 8ग^{2} बाबत जारी किये जाने कमीशन प्रस्तुत किया गया।

सुना तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया।

न्यायहित में प्रार्थना पत्र 8ग^{2} स्वीकार किया जाता है। अमीन कमिश्नर को कमीशन कार्य हेतु नियुक्त किया जाता है। अमीन कमिश्नर को निर्देशित किया जाता है कि वह मौके पर जाकर उभय पक्ष की उपस्थिति में कमीशन कार्य निष्पादित करें तथा अपनी आख्या मय नक्शा नियत तिथि को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें।कमीशन कार्य हेतु वादी आवश्यक पैरवी अविलम्ब करे।

सिविल जज (जू०डि०)
बिसवाँ, सीतापुर।

दुर्गा शंकर (स्टेनो)/ -

Digitally signed by SUBHASH
Date: 2023.12.21 16:43:13 IST
Reason: Document Owner
Location: In the court of civil judge junior division Biswan